

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना-मेहनाजपुर

### 2 किग्रा 200 ग्राम गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.08.2021 को उ०नि० सुधीर पाण्डेय थाना मेहनाजपुर मय हमराह कर्मचारी हे०का० चिक्कन यादव , का० पवन कुमार व का० विकास यादव के साथ जियापुर पुलिया बैरियर पर रहकर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि एक आदमी जियापुर पुल की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस बल को देखकर वह पीछे की ओर मुड़कर पुलिया की ओर भागने लगा। संदिग्ध होने पर पुलिस बल द्वारा आवाज देकर रुकने को कहा गया परन्तु वह और तेजी से भागने लगा कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय सुबह 08.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम पता धिरेन्द्र उर्फ धीरज पाल पुत्र लोदई पाल निवासी ग्रा० कुबाखास थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 1 KG 200 GM अवैध गाँजा बरामद हुआ। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मेहनगर पर आर्म्स एक्ट , एनडीपीएस एक्ट , लूट.गैगेस्टर, पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में दर्जेनो मुकदमें पंजीकृत है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-80/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

धिरेन्द्र उर्फ धीरज पाल पुत्र लोदई पाल निवासी ग्रा० कुबाखास थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़।

### पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं.80/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### अपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सं.80/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2-मु०अ०सं० 11/14 धारा 395/511 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 3- मु०अ०सं० -25/14 धारा 392/411 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 4-मु०अ०सं० 59/14 धारा 3(1) गैंग एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 5- मु०अ०सं० 5/14 धारा 394 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 32/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 113/15 धारा 110 G CRPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
8. मु०अ०सं० 66/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
9. मु०अ०सं० NIL/18 धारा 110 G CRPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

10. मु0अ0सं0 17/14 धारा 323,504, 506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 NIL/20 धारा 110 G CRPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 NIL/20 धारा 3(1) गुंडा नियंत्रण अधिनियम थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 26/21 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड़)थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 31/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी

1 KG 200 gm अवैध गांजा

### गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 2- हे0का0 चिक्कन यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 3- का0 पवन कुमार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
- 3-का0 विकास यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### थाना-सरायमीर

### अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 28.08.2021 को वरिष्ठ उ0नि0 शमशेर यादव, उ0नि0 श्री श्याम सिंह यादव थाना सरायमीर मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 पवनेश प्रताप सिंह के साथ वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर की प्राप्त सूचना के आधार पर चकिया इब्राहिमपुर चौराहे पर स्थित आरो प्लान्टके पास से एक व्यक्ति को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूल 315 बोर के साथ समय 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम सोनू उर्फ एहतेशाम पुत्र अब्दुल औवल निवासी चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

सोनू उर्फ एहतेशाम पुत्र अब्दुल औवल निवासी चकिया इब्राहिमपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

### पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 120/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 शमशेर यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. उ0नि0 श्री श्याम सिंह यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. का0 पवनेश प्रताप सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. का0 राहुल कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।

## थाना कोतवाली

### एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद मिस कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्वेक्षण व प्र०नि० कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार प्रयास के क्रम में -

दिनांक 28.08.2021 को उ०नि० विनय कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर व उ०नि० शिवकुमार कुशवाहा चौकी ब्रह्मस्थान मय हमराह कर्म०गण के द्वारासंदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के अभियान के क्रम में शिवली कालेज P.N.B बैंक के सामने चेकिंग में मामूर थे कि पहाड़पुर तिराहे से पाण्डेय बाजार चौराहे की तरफ पैदल जा रहा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर तेज-तेज कदमों से वापस पहाड़पुर तिराहा की तरफ जाने लगा कि शंका होने पर पुलिस टीम उक्त व्यक्ति को आवाज देकर रुकने का ईशारा की परन्तु उक्त व्यक्ति रुका नहीं तो पुलिस टीम उसकी तरफ बढ़ी तो उक्त व्यक्ति भगाने लगा कि करीब 20-25 कदम जाते-2 शिवली कालेज SBI ATM के सामने घेर-घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम - पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम जाहिद उर्फ बबलू S/O मु० इसराज निवासी ग्राम रामपुर सुरीना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष हाल पता मुहल्ला गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जिला - आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी से कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद मिस जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त -

जाहिद उर्फ बबलू S/O मु० इसराज निवासी ग्राम रामपुर सुरीना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष हाल पता मुहल्ला गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जिला - आजमगढ़

#### बरामदगी माल का विवरण-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद मिस जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

#### पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु०अ०सं० 266/21 धारा 3 /25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ०नि० विनय कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर
2. उ०नि० शिवकुमार कुशवाहा चौकी ब्रह्मस्थान
3. कां० अमरजीत निषाद
4. कां० अरविन्द कुमार
5. कां० संजय वर्मा
6. कां० जयप्रकाश प्रजापति
7. कां० राजकुमार राजभर समस्त थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

## थाना देवगांव

### गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध

विशेष रूप से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा अपराध एव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में नि०अ० राकेश कुमार सिंह मय हमराह के द्वारा मु०अ०स० 122/021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र नन्हेलाल नि० खमौरा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को मसीरपुर तिराहे परकही से समय करीब 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### अभियोग पंजीकृत—

मु०अ०स० 122/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

## गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता—

रवि कुमार पुत्र नन्हेलाल नि० खमौरा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम –

- (1) नि०अ० राकेश कुमार सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (2) का० भानू यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (3) का० दिनेश सोनकर थाना देवगाँव आजमगढ़

### थाना- जीयनपुर

#### 02 नफर चोर गिरफ्तार, चोरी की एक अदद एकटवा स्कूटी व एक अदद रीयलमी मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त / संदिग्ध व्यक्ति/ चेकिंग गिरफ्तारी हेतु उ०नि० दिनेश प्रसाद मय हमराह कर्म०गण का० अतुल पाल व का० अमन पासवान के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध ब्यक्ति/वाहन मनिकाडीह चौक पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो ब्यक्ति चोरी की एकटीवा स्कूटी लेकर मालटारी की तरफ से रामगढ़ की ओर आ रहे है मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मय मुखबिर के रवाना होकर रामगढ़ चौराहे पर पहुँची तो कुछ देर बाद मुखबिर खास नें सामने से आ रही एकटीवा स्कूटी की तरफ इशारा कर हट बढ गया कि पास आने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो स्कूटी सवार ब्यक्ति स्कूटी मोड़कर भागना चाहे कि एक बारगी घेर कर स्कूटी सवार दोनो ब्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए ब्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले नें अपना नाम अनिरुद्ध प्रजापति पुत्र राम सागर प्रजापति निवासी मनिकाडीह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद मोबाइल बरंग सफेद काला रियलमी बरामद हुआ । मोबाइल के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि साहब यह मोबाइल दिनांक 26.08.21 को मैं तथा विमलेश यादव पुत्र कैलाश यादव जो हरैया बाईपार का रहने वाला है नें मिलकर बिलरियांगंज रोड पान हसनपट्टी जीयनपुर की दुकान से चोरी किया था यह वही मोबाइल है सिर में लगी चोट के सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहा है कि साहब जिस दिन हम लोग मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे उसी दिन रास्ते में मोटर साइकिल स्लीप कर गिर गयी थी गिरने के कारण मुझे चोट लगी थी पकड़े गए दुसरे ब्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कैलाश यादव पुत्र स्व० शाहबल यादव निवासी हरैया बाईपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया । एकटीवा स्कूटी के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि साहब इस स्कूटी को मेरा लड़का विमलेश यादव कही से चोरी कर लाया है मुझे नही पता है कि कहा से लाया है एकटीवा स्कूटी का निरीक्षण किया गया तो पीछे नम्बर प्लेट पर केवल 53 लिखा हुआ है जिसका चेचिस नं० व इंजन नं० घिसा है जिसे मोबाइल ई चालान ऐप के माध्यम से जाँच किया जाना सम्भव नही है अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 411/414 भादवि से अवगत कराते हुए दिनांक 28.08.2021 को समय करीब 16.15 बजे हिरासत पुलिस में व बरामद शुदा मोबाइल व एकटीवा स्कूटी को कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अनिरुद्ध प्रजापति पुत्र राम सागर प्रजापति निवासी मनिकाडीह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. कैलाश यादव पुत्र स्व० शाहबल यादव निवासी हरैया बाईपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

1. एक अदद एकटवा स्कूटी चोरी की
2. एक अदद रीयलमी मोबाइल चोरी का

## पंजीकृत अभियोग-

अनिरुद्ध प्रजापति पुत्र राम सागर प्रजापति निवासी मनिकाडीह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 233/21 धारा 379/411 IPC

2. मु0अ0सं0 234/21 धारा 411/414 IPC

कैलाश यादव पुत्र स्व0 शाहबल यादव निवासी हरैया बाईपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 234/21 धारा 411/414 IPC

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 अतुल पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 अमन पासवान थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

## थाना- जीयनपुर

### पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 दिनेश प्रसाद मय हमराह का0 अतुल पाल ,का0 राजकुमार के द्वारा मु0अ0सं0 235/2021 धारा 354 डी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक राय उर्फ प्रशान्त पुत्र श्याम सुन्दर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हरैया थाना जीयनपुर आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 13.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

विवेक राय उर्फ प्रशान्त पुत्र श्याम सुन्दर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हरैया थाना जीयनपुर आजमगढ़

## पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 235/2021 धारा 354 डी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 अतुल पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 राजकुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

## थाना पवई

### 02 वांछित चोर गिरफ्तार, 05 अदद साईकिल व 01 अदद मोटर 2 हार्ष पावर

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन थानाध्यक्ष पवई बृजेश सिंह सतत पर्यवेक्षण उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दौरान क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 115/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण कबाडी की दुकान ग्राम खैरुद्दीनपुर में बेचने के लिये मोल भाव कर रहे हैं इस सूचना पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराहियान मय मुखबिर खास के प्रस्थान कर ग्राम खैरुद्दीनपुर में कबाडी की दुकान पर पहुंचे तो मुखबिर खास दुर से ही इशारा कर के हट बढ गया। उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराहियान की मदद से दोनो व्यक्तियों को पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछ गया तो पहले ने अपना नाम संतोष अग्रहरी पुत्र स्व0 माताप्रसाद अग्रहरी निवासी खैरुद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम अंगद पुत्र जैतून निवासी पुलसराया थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया। दोनो व्यक्तियों से मुकदमे से सम्बन्धित माल के बारे में पूछ ताछ किया गया तो उनके निशान देही पर 05 अदद साईकिल व 01 अदद मोटर 2 हार्ष पावर की

बरामद किया गया। कारण गिरफ्तारी बताते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 29.08.2021 समय करीब 04.30 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

मु0अ0सं0 115/21 धारा 379 ,411,413,414 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

**गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1. संतोष अग्रहरी पुत्र स्व0 माताप्रसाद अग्रहरी निवासी खैरुद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ
2. अंगद पुत्र जैतून निवासी पुलसराय थाना पवई जनपद आजमगढ

**बरामदगी –**

05 अदद साईकिल व 01 अदद मोटर 2 हार्ष पावर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
2. हे0का0 रमेश प्रसाद
3. का0 केशर यादव
4. का0 प्रदीप वर्मा

\*नोट-जनपद आजमगढ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 32 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।\*